न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 31/2022

1. बलराज पुत्र लिखमाराम जाति बादी निवासी निनाण त0 भादरा।

:– वादी

बनाम

1. लिखमा पुत्र डूंगरराम जाति बादी निवासी निनाण त0 भादरा।
2. रूघाराम पुत्र लिखमाराम जाति बादी निवासी निनाण त0 भादरा।
3. रामकुमार पुत्र लिखमाराम जाति बादी निवासी निनाण त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी: **वादी**
वकील श्री सुरजीत बिजारणियां : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक** : 13.04.22

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 285/266 के मु0न0 55 के किला न0 16, मु0न0 56 के किला न0 11, 12, 13/1, 13/2, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2 कुल किता 13 की 2.530है0 बारानी खातेदारी मय रास्ता की भूमि मे वादी का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि मे वादी का नाम बलराज की बजाय बलवीर दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम बलराज है। वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, एव अन्य सभी दस्तावेज बलराज के नाम से ही है। वादी का सभी दस्तावेजो मे नाम बलराज ही दर्ज है।

उक्त नाम मे सशोधन नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम बलराज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 1 ता 4 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी मे बलराज पुत्र लिखमाराम जाति बादी निवासी निनान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबंदी रोही मौजा 11 जेजीडब्ल्यू के खाता स0 285/266 सवत 2075–78 प्रदर्श 1, चित्रप्रति आधार कार्ड 2ए, चित्रप्रति पहचान पत्र चुनाव आयोग प्रदर्श 3ए, चित्रप्रति पैन कार्ड बलराज प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति राशन कार्ड प्रदर्श 5ए, ग्राम पंचायत निनाण द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मोजा चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 285/266 के मु0नं0 55 के किला नं0 16, मु0नं0 56 के किला नं0 11, 12, 13/1, 13/2, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2 कुल किता 13 की 2.530हैं0 बारानी खातेदारी मय रास्ता की भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का नाम बलराज की जगह बलवीर दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम बलराज है, वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो बलराज के नाम से ही है व रिपोर्ट पटवारी हल्का जोगीवाला के मुताबिक नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 285/266 के मु0नं0 55 के किला नं0 16, मु0नं0 56 के किला नं0 11, 12, 13/1, 13/2, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2 कुल किता 13 की 2.530हैं0 बारानी खातेदारी मय रास्ता की भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा खातेदारी है। उसमें वादी का नाम बलराज की जगह बलवीर दर्ज हो गया है। उसमें वादी का नाम बलवीर की जगह बलराज किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच बलवीर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में बलवीर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी बलवीर के नाम ही प्रभावी माना जावेगा, तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 31/2022

1. बलराज पुत्र लिखमाराम जाति वादी निवासी निनाण त0 भादरा।

:- वादी

बनाम

1. लिखमा पुत्र डूंगरराम जाति वादी निवासी निनाण त0 भादरा।
2. रूघाराम पुत्र लिखमाराम जाति वादी निवासी निनाण त0 भादरा।
3. रामकुमार पुत्र लिखमाराम जाति वादी निवासी निनाण त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादीगगण श्री सुरजीत बिजारणियांकी उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 285/266 के मु0नं0 55 के किला नं0 16, मु0नं0 56 के किला नं0 11, 12, 13/1, 13/2, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2 कुल किता 13 की 2.530है0 बारानी खातेदारी मय रास्ता की भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा खातेदारी है। उसमें वादी का नाम बलराज की जगह बलवीर दर्ज हो गया है। उसमें वादी का नाम बलवीर की जगह बलराज किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.04.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner